राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2430/2012/भीलवाडा

मै0 गोपाला कंस्ट्रक्शन,
भीलवाड़ा। ...अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एडं लीजिंग टैक्स, भीलवाडा
2. उपायुक्त (अपील्स),
भीलवाडा ...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 78/वेट/12–13 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एंड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत कायम की गई मांग राशि रू. 8,201/– अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रतिप्रेषित की है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वर्क्स कोन्ट्रेक्टर है। अपीलार्थी का कर निर्धारण वर्ष 2010–11 हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा के आदेश दिनांक 27.08.2012 द्वारा पारित किया गया। व्यवसायी ने इस आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष खरीद राशि में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये वृद्धि कर करारोपण करने, नदी रेत व पत्थर पर प्रति ट्रिप के स्थान पर इनकी वैल्यू बढ़ाकर वेट आरोपित करने के बिन्दुओं पर अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि करने से पूर्व विस्तृत एवं विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने एवं बजरी एवं स्टोन के प्रति ट्रिप पर करारोपण के विवादित बिन्दु पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि व्यवहारी द्वारा अपने लेखा बहियों में प्रति ट्रिप से खरीद बिक्री की जांच उपरांत कर निर्धारण वेट अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के अनुसार करारोपण किया जावे।

लगातार................2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2010–11 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। साथ ही इन्होंने कथन किया कि स्टोन सैण्ड पर ट्रिप के स्थान पर मूल्य पर करारोपण किया है जो विधिसम्मत नहीं है तथा इस बिन्दु पर अपील स्वीकार की जानी चाहिए थी। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

7. अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2010–11 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2014 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 27.08.2012 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

8. अपील में द्वितीय आधार यह है कि स्टोन सैण्ड पर ट्रिप के स्थान पर मूल्य पर करारोपण किया है जो विधिसम्मत नहीं है तथा इस बिन्दु पर अपील स्वीकार की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बजरी एवं स्टोन के प्रति ट्रिप पर करारोपण के विवादित बिन्दु पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि व्यवहारी द्वारा अपने लेखा बहियों में प्रति ट्रिप से खरीद बिक्री की जांच उपरांत कर निर्धारण वेट अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के अनुसार करारोपण किया जावे। इस पीठ की विनम्र राय के अनुसार अपीलीय अधिकारी का यह निष्कर्ष न्यायोचित एवं विधिसम्मत है क्योंकि इससे तथ्यों की जांच होकर विधिक प्रावधानों के संदर्भ में परीक्षण हो सकेगा।

9. इस प्रकार खरीद में वृद्धि के संबंध में सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा बजरी व स्टोन सैण्ड पर करारोपण के संबंध में जांच कर विधिक प्रावधानों के अनुसार पुनः करारोपण हेतु प्रतिप्रेषित किया जो विधिसम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य